जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर

(बी–610, ए.डी.आर. सेन्टर, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर)

फोन : 0141–4596237 ईमेल:dlsa18jaipurdistrict@gmail.com

क्रमांक : 53

दिनांक : 3/2/26

पैरालीगल वोलेन्टीयर्स के चयन हेतु आम सूचना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी किये गये Scheme for Para Legal Volunteers (Revised) & NALSA (Legal Services Clinics in Universities, Law Colleges and other Institutions) Scheme, 2013 तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों में पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स के कुशल एवं व्यवस्थित उपयोग हेतु जारी निर्देशिका क्रमांक 15539–582 दिनांक 29.11.2025 व पत्र कमांक रालसा/2026/878–921 दिनांक 16.01.2026 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार जयपुर जिला न्यायक्षेत्र में स्थापित विधिक सेवा केन्द्रों पर कार्य करने, विधिक सेवा कार्यक्रमों के कियान्वयन, विधिक जागरूकता के प्रचार–प्रसार हेतु पैरालीगल वॉलेटीयर्स (पी.एल.वी.)/अधिकार मित्र के रूप में बाद प्रशिक्षण चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला तथा अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में निम्नानुसार पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स की नियुक्ति की जानी है:–

क्र. सं.	संबंधित प्राधिकरण/तालुका समिति/ न्यायक्षेत्र	क्षेत्राधिकार की पंचायत समिति का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जाना है	संख्या
1.	जयपुर मुख्यालय	जयपुर	6
2.	तालुका समिति शाहपुरा	शाहपुरा	1
3.	तालुका समिति सांभर लेक	सांभरलेक	3
4.	तालुका समिति चौमूं	गोविन्दगढ़ व जालसू	2
5.	तालुका समिति दूदू	दूदू व मौजमाबाद	1
6.	फागी	फागी व माधोराजपुरा	4
7.	जमवारामगढ़	जमवारामगढ़ व आंधी	3
8.	जोबनेर	जेबनेर	2
9.	किशनगढ़ रेनवाल	किशनगढ़ रेनवाल	2
कुल			24

पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार विधिक जागरूकता शिविर एवं अन्य कार्य करेंगें। पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स विधिक सेवा क्लिनिक का संचालन करेंगें तथा आमजन एवं विधिक सेवा संस्थाओं के मध्य कडी का कार्य करेंगें व पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। पीएलवी की नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष के लिये की जावेगी।

1. **शैक्षणिक योग्यता:–** आवेदक का शिक्षित होना तथा कम से कम दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढने की अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को पत्र–व्यवहार का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए।

2. **आयु:–** आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

3. **आवेदन पत्र:–** इस पद हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगें। अन्य प्रारूप या अधूरे प्रारूप में प्रेषित आवेदन पत्र को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

4. **चयन प्रकिया:–** अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने पर उनकी संख्या को देखते हुए उनको शोर्टलिस्ट करने के लिये चयन समिति द्वारा उचित प्रकिया अपनाई जायेगी

तथा उसके पश्चात साक्षात्कार लिया जाकर उनका चयन किया जायेगा। आवेदकों का चयन करने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा। नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा तथा उसके पश्चात उन्हें पैनल में सम्मिलित किया जावेगा। साक्षात्कार में सफल सभी अभ्यर्थियों को सभी प्रशिक्षण दिवस पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

5. **चरित्र प्रमाण पत्रः–** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

6. **शारीरिक योग्यताः** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।

7. **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावें:–**
 1– जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 2– शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
 3– दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
 4– आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
 5– जाति प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति।
 6– आधार कार्ड व राशन कार्ड की सत्यापित प्रति।
 7– किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नहीं होने का स्व–प्रमाणित घोषणा पत्र।

8. **पात्रताः** पी.एल.वी. का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उन्हें शोर्टलिस्ट कर साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। पी.एल.वी. के लिये निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हो सकते हैः–
 1. शिक्षक (सेवानिवृत शिक्षक सहित)
 2. सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी तथा वरिष्ठ नागरिक
 3. एम.एस.डबल्यू छात्र/ छात्राएं व अध्यापक
 4. आंगनवाडी कार्यकर्ता
 5. डॉक्टर/फिजिशियन
 6. छात्र व विधि छात्र (जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हो)
 7. गैर राजनीतिक स्वयं सेवा समूह, सेवा हेतु समर्पित एनजीओ एवं क्लब के सदस्यगण
 8. महिला संगठनों के कार्यकर्ता, मैत्री संगम तथा पिछडे तबकों के लिये कार्य कर रहे स्वयं सेवा समूहों के सदस्यगण
 9. समाजसेवी व सामाजिक कार्यकर्ता
 10. शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो
 11. ट्रांसजेन्डर
 12. अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम व योग्य समझे।

9. **आवेदन की अन्तिम तिथिः–** पैरालीगल वॉलियन्टर्स के पद हेतु इच्छुक व्यक्ति जो उपरोक्त वर्णित योग्यता रखता हो, अपने कार्य क्षेत्र का चयन करते हुए निर्धारित आवेदन पत्र में अपना आवेदन अंतिम दिनांक 18.02.2026 को सायं 5.00 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला/तालुका विधिक सेवा समिति, शाहपुरा/सांभर/चौमूं/दूदू/अपर जिला एवं सेशन न्यायालय फागी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोबनेर/किशनगढ़ रेनवाल तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़ में प्रस्तुत कर सकते है। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन निःशुल्क होगा।

चयनित पी.एल.वी के कर्त्तव्य (ड्यूटी):

1. पैरालीगल वॉलियन्टर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ड्यूटी दिवस के दिन 06 घण्टे कार्य संपादित किया जावेगा जिसमें 5 घंटे फिल्ड कार्य तथा 01 घंटा रिपोर्टिंग तैयार करने से संबंधित होगा।
2. पैरालीगल वॉलियन्टर्स दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर समाज के कमजोर वर्ग, हाशिए पर खड़े व वंचित समुदायों के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
3. विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर निर्धारित समय अवधि में उपस्थित रहेगा।
4. आम नागरिक के विवादों को तालुका विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निरस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
5. श्रमिक कार्ड, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा (RTE के तहत नामांकन) और अन्य सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ना।
6. फ्रंट ऑफिस, विधिक सेवा केन्द्रों, पुलिस स्टेशन, जेल विधिक सहायता क्लीनिक और लोक अदालतों में सहायता करना।
7. पी.एल.वी. अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों को विधिक सेवा संस्थाओं जैसे तालुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की गतिविधियों एवं विधिक सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी देगा, इनका प्रसार करने में कोई कसर नहीं रखेगा। जिससे सुयोग्य व्यक्ति को इन संस्थानों से मदद मिल सकें।
8. केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवदेनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पीएलवी निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा।
9. प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतायेगा।
10. लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करेगा।
11. पैरालीगल वॉलियन्टर द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय यथा बाल विवाह, मृत्युभोज, अन्य अपराध आदि होने की स्थिति में जरिये दूरभाष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।
12. पीडित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।
13. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह, रैन बसेरों आदि का निरीक्षण करना व उनमें निवास कर रहे व्यक्तियों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना एवं साफ सफाई, मूलभूत आवश्यकताओं का आंकलन कर प्राधिकरण को अवगत कराना।
14. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी देना।
15. विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि–लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना। साथ ही कानूनी सहायता योजनाओं, पीडित मुआवजा, महिला एवं बाल अधिकार, पोक्सो, घरेलू हिंसा, लोक अदालत, ए.डी.आर. आदि के बारे में जानकारी प्रसारित करना।
16. पैरालीगल वॉलियन्टर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
17. पैरालीगल वॉलियन्टर लोगों को विवादों के निपटारे के लिए मुफ्त अथवा कम खर्चीले माध्यमों के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे। वे आम जनता को जनउपयोगी सेवाओं जैसे डाक, तार, टेलीफोन, पानी बिजली विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल, बैंक एवं वित्तीय संस्था, आवासीय, लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, आवास और भू–सम्पदाओं से

संबंधी सेवाओं के विवादों का निपटारा स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करने के प्रति जागरूक करेंगे।

18. पैरालीगल वॉलियन्टर को अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना मिलती है तो उसे पुलिस थाना जाकर गिरफ्तार व्यक्ति को विधिक सहायता एवं सलाह सुनिश्चित करना।
19. पैरालीगल वॉलियन्टर इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कैनोपी लगाकर मोबाइल विधिक सेवा क्लिनिक के माध्यम से विभिन्न विधिक सेवा गतिविधियों का प्रचार प्रसार करेगा व विधिक सहायता आवेदन प्राप्त करेगा।
20. पैरालीगल वॉलियन्टर उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये मैटेरियल को प्रचार व प्रसार करना।

10. **स्पष्टीकरण :**

- चयनित पी.एल.वी. को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निर्धारित मानदेय (Honorarium) के अलावा अन्य किसी प्रकार का वेतन, पारिश्रमिक, प्रोत्साहन राशि या मजदूरी (Wedges) देय नहीं होगी।
- साक्षात्कार हेतु कोई खर्चा देय नहीं होगा।
- आवेदन पत्र जिला मुख्यालय व तालुका स्तर पर कार्यालय में उपलब्ध रहेंगें।

11. **साक्षात्कार :** आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के बाद साक्षात्कार हेतु जो अभ्यर्थी प्रोविजनली योग्य पाये जायेंगे, उनके साक्षात्कार की तिथि व स्थान सुनिश्चित कर जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर की वेबसाइट "https://jaipurdistrict.dcourts.gov.in/" पर अपलोड की जाएगी, इस हेतु अलग से कोई सूचना पत्र या बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे सतत् रूप से उपरोक्त वेबसाइट पर विजिट करते रहे। साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने मात्र से किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, योग्यता का अंतिम निर्धारण साक्षात्कार के पश्चात किया जाएगा।

12. **नोटः**

1) **निम्नलिखित व्यक्ति पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैः–** अधिवक्तागण, राजनीतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुडे हुए व्यक्ति, राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति, किसी अपराध का अभियुक्त हो, ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से पैरालीगल वॉलेन्टीयर का कार्य करने में असक्षम हों, ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तिगत हित किसी भी आधार पर पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स स्कीम के हितों को प्रभावित करते हों।
2) पी.एल.वी. की नियुक्ति तथा हटाने से संबंधित सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला के पास सुरक्षित है।
3) आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर जिला, जयपुर।

कमांकः– 917–63 दिनांकः– 03.02.26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. नोटिस बोड, जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला (विज्ञप्ति मय प्रारूप न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।)
3. कार्यालय – नोटिस बोर्ड।
4. नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट, बनीपार्क, जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड, जिला परिषद, जयपुर।

6. नोटिस बोर्ड, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. नोटिस बोर्ड, तालुका समिति परिसर, शाहपुरा/सांभरलेक/चौमूं/दूदू, जयपुर जिला।
8. नोटिस बोर्ड, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय फागी।
9. नोटिस बोर्ड अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोबनेर/किशनगढ़ रेनवाल,
10. नोटिस बोर्ड सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर जिला।
11. नोटिस बोर्ड, उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा/ सांभर/ चौमूं/ दूदू/ फागी/ जमवारामगढ़ ।
12. नोटिस बोर्ड, समस्त पुलिस थाना, जयपुर ग्रामीण।
13. नोटिस बोर्ड समस्त ग्राम पंचायत, जयपुर जिला ग्रामीण ।
14. नोटिस बोर्ड विभिन्न विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
15. नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन, जयपुर।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर जिला, जयपुर।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर
पैरा लीगल वॉलियन्टर्स (पी.एल.वी.) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पारापोर्ट साईज का फोटो

1. आवेदक का नाम :.....
2. पिता/पति का नाम :.....
3. संवर्ग–सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग. (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें) :.....
4. जाति :.....
5. स्थायी पता मय दूरभाष/ :.....

 मोबाईल नम्बर :.....
6. वर्तमान पता :.....

7. निकटतम पुलिस स्टेशन :.....
8. जन्म तिथि (अंकों में) :.....
 (शब्दों में) :.....
9. वर्तमान आयु :.....
10. शैक्षणिक योग्यता :.....
11. आवेदक द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्य का विवरण :.....
12. यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत हुए :.....
13. यदि आवेदक किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध है या वर्तमान में उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो उसका विवरण :.....
14. आवेदक पीएलवी के रूप में किस स्थान पर स्वेच्छा कार्य करने हेतु तैयार है। : 1.जयपुर मुख्यालय 2. तालुका.....
 3. गाँव
15. आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, **N.G.O** या किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण लिखें। :.....
16. यदि आवेदक पी.एल.वी. के रूप में कार्य कर रहा हो/कर चुका हो, तो उसका विवरण :

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं..... सत्यापित करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है। मैं किसी भी राजनीतिक दल से सक्रिय रूप से जुडा हुआ/जुड़ी हुई नहीं हूँ।

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)